तारीख हुक्म

जज

06.02.2020

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.02.2020 को पेश हो।

13.02.2020

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की गत पेशी पर सुनी गई, दौराने बहस प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 22.07.2019 राजीनामा मुताबिक प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध प्रार्थीगण का कोई अनुतोष नहीं रहने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावें

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–5 के राजीनामा व प्रार्थीगण द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.2019 का घोर विरोध करते हुए दौरानें वहस यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत को सार्वजनिक ट्रस्ट की भूमि में रास्ता स्वीकार किये जाने में दी गई सहमति का कोई अधिकार पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी संख्या 5 ने सार्वजनिक ट्रस्ट की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता स्वीकृत किये जाने में सहमति दी है लेकिन वह कानूनन विधि सम्मत नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत को ट्रस्ट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत कराने में सहमति देने की अधिकारिता है अथवा नहीं के सम्बंध में कोई दस्तावेज (अधिकार पत्र) प्रस्तुत नहीं किया किया है।

अतः अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा राजीनामा में जो सहमति दी गई है वह स्वीकार किये जानें योग्य नहीं होनें से राजीनामा पोषणीय नहीं पाये जानें से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (ए) वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.17 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested